

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(71)वित्त-1(1)आय.व्य/2015

जयपुर, दिनांक : 27/02/17

स्वीकृति संख्या:- 753/2016-17

कोषाधिदारी,
बारां।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के पी.डी.खाते में कुल राशि रुपये 565.56 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7()सहरिया/ज.क.नि./प्रस्ताव राजस्व/2016-17 स्वीकृति सं. 64/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 520.72 लाख, स्वीकृति सं. 65/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 10.00 लाख एवं स्वीकृति सं. 66/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 34.84 लाख में अंकित शर्तों के अनुसार कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के पी.डी.खाते में कुल राशि रुपये 565.56 लाख (अक्षरे रुपये पांच करोड़ पैंसठ लाख छप्पन हजार) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-


मांग संख्या -30

- | | | |
|------|--|-----------------------------|
| 2225 | - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण | |
| 02 | - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण | |
| 796 | - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना | |
| (17) | - सहरिया विकास (जकनि) | |
| [08] | - मॉ-बाडी केन्द्रों का संचालन | |
| 12 | - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना) | राशि रुपये 520.72 लाख मात्र |
| [10] | - पीएमटी/पीईटी/आईआईटी आदि की प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग | |
| 12 | - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना) | राशि रुपये 10.00 लाख मात्र |
| [11] | - क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम | |
| 12 | - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना) | राशि रुपये 34.84 लाख मात्र. |

राशि रु. 565.56 लाख मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।


भवदीय,


(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. जिला कलक्टर, बारां।
6. कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां)।
7. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)